

परिशिष्ट -I

(संदर्भ: कंडिका - 2.2.7.4)

वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना अधिसूचनाओं का निर्गमन

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	अधिसूचना का सारांश	विभाग द्वारा निकाले गए राजस्व प्रभाव
1.	अधिसूचना 30 दिनांक 01.04.2006	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की अनुसूची-I, II एवं III को प्रतिस्थापित किया गया।	₹ 120 करोड़ की हानि ।
2.	अधिसूचना 32 दिनांक 01.04.2006	फूड-ग्रेन्स पर 4 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया गया।	मंत्रिपरिषद् के पास प्रस्ताव भेजने के समय राजस्व प्रभाव की गणना नहीं की गयी थी।
3.	अधिसूचना 90 दिनांक 01.07.2006	अनुसूची-I के एक वस्तु एवं अनुसूची-III के 6 वस्तुओं को सशोधित किया गया।	
4.	अधिसूचना 92 दिनांक 01.07.2006	आटा, मैदा, सुजी आदि पर से प्रवेश कर हटा दिया गया।	
5.	अधिसूचना 43 दिनांक 04.05.2006	अनुसूची-IV के वस्तुओं पर आरोपण का बिन्दु निर्धारित किया गया।	मंत्रिपरिषद् के पास प्रस्ताव भेजने के समय राजस्व प्रभाव की गणना नहीं की गयी थी।
6.	अधिसूचना 45 दिनांक 04.05.2006	ईट-भट्टा पर कर का समाहितकरण किया गया।	
7.	अधिसूचना 47 दिनांक 04.05.2006	कुछ वस्तुओं पर एम.आर.पी पर कर आरोपित किया गया।	
8.	अधिसूचना 49 दिनांक 04.05.2006	हाँई स्पीड डीजल पर कर का दर 20 प्रतिशत कम किया गया।	
9.	अधिसूचना 51 दिनांक 04.05.2006	एच.एस.डी एवं एल.डी.ओ. पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार आरोपित किया गया।	
10.	अधिसूचना 167 दिनांक 12.08.2010	मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 3ए के तहत निर्गत अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया।	
11.	अधिसूचना 134 दिनांक 12.07.2010	किरासन तेल पर मूल्यवर्द्धित कर का दर घटाया गया।	₹ 77 करोड़ की हानि ।
12.	अधिसूचना 103 दिनांक 14.08.2006	कुछ वस्तुओं पर एम.आर.पी पर कर आरोपित किया गया।	₹ 5 करोड़ का लाभ ।
13.	अधिसूचना 105 दिनांक 14.08.2006	अगरबत्ती, ऑयलकेक इत्यादि को कर-मुक्त किया गया।	-
कुल			₹ 192 करोड़